न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती

मूलवाद सं0 456/1985

माताबदल बनाम देवेन्द्र नरायन पाण्डेय

<u>03.08.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 148क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 148क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी सं0 1 व 2 की मृत्यु दौरान कार्यवाही कायमी हो गयी है। दिनांक 16.07.2014 को प्रार्थीगण का कायमी प्रार्थनापत्र स्वीकार हुआ। वादी सं0 1 व 2 के बाबत प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र कायमी सं0 156/1998 में दिया जा चुका है, जो स्वीकार हो चुका है एवं फार्मल डिक्री में पक्षकार बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में वादपत्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 148क2 वादी सं0 1 व 2 की मृत्यु दौरान कार्यवाही कायमी होने के फलस्वरूप वादपत्र में संशोधन किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। वादी सं0 1 व 2 के पक्षकारों को दौरान कार्यवाही कायमी सं0 156/1998, प्रतिस्थापित किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 148क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 148क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 30.08.2018 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती